

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक-3543/खनिज/ई-निविदा/2025

दिनांक 11/12/2025

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रेस नोट)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नदी तल में उपलब्ध बालू के विकल्प के रूप में ईमारती पत्थर यथा सैण्ड स्टोन के खनन क्षेत्रों में खनन संकिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन का उपयोग कर कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड-Manufactured Sand) का उत्पादन किये जाने के उद्देश्य से जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार स्थित ग्राम अहिरूपुर व भगौतीदेई एवं तहसील लालगंज स्थित ग्राम भूसी पथरहा में खनन क्षेत्रों में खनन संकिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन को निरस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश सं0-748/86-2022-03(सा0)/2021 दिनांक 20.06.2022 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्व/जनहित में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम/गाटा	क्षेत्र का जियो-कोऑर्डिनेट	रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन की मात्रा (घन मी0 में)	आश्रित मूल्य (घन मी X रायल्टी दर रु0 100 प्रति घन मी0)	प्रतिभूति धनराशि (कॉलम 6 का 10 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	चुनार	अहिरूपुर आराजी संख्या-01	25° 2'33.90"N 82°58'57.42"E के समीप	30200.6	3020060	302006
2	चुनार	भगौतीदेई आराजी सं0 180/2	25° 2'52.97"N 82°58'36.88"E के समीप	50006.8	5000680	500068
3	लालगंज	भूसी पथरहा आराजी सं0 83 घ	24°59'34.55"N 82° 28'40.79"E के समीप	23575	2357500	235750

उक्त विवरण के अनुसार रिजेक्ट पत्थर/ ओवरबर्डन की मात्रा को अधिकतम 06 माह की अवधि में निस्तारित किये जाने हेतु ई-निविदा दिनांक 22/12/2025 से दिनांक 26/12/2025 तक समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती है, जिसे दिनांक 27/12/2025 को दोपहर 02:00 बजे गठित समिति के समक्ष क्वैरी कार्यालय, मीरजापुर में खोली जायेगी। विस्तृत सूचना eProcurement Portal <https://etender.up.nic.in> पर एवं खनिज कार्यालय, मीरजापुर से प्राप्त की जा सकती है।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, सूचना निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की जनपद मीरजापुर में सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में से किसी दो समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 2- जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

(अजय कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मीरजापुर।